

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**  
 क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/ गुड गवर्नेन्स /18-19/ 12714-23 दिनांक : 08.03.19

निदेशक  
 स्वच्छ परियोजना  
 उदयपुर।

विषय : गुड गवर्नेन्स संबंधित कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 1003-08 दिनांक 21.02.2019 द्वारा आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर कार्यालय में महिलाओं हेतु कॉमन रूम बनवाने एवं महिला शौचालय की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में भवन के द्वितीय तल पर नई विंग में आवंटित कॉमन रूम एवं अन्य सुविधाओं के विकास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति अनुमानित लागत राशि रु. 5.00 लाख की प्रदान की गई एवं स्वच्छ परियोजना को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति APO SWACH /UDAI /50/ /08.03.2019 प्राप्त होने से राशि रु. 5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

स्वीकृति अन्तर्गत निम्नांकित कार्य करवाया जावेगा:-

1. कॉमन रूम में फर्निचर, डायनिंग टेबल, वार्ड रोब मय लॉकर, ए.सी. नंग- 2 (टन 2.0), लाईट, पंखा एवं पेन्ट्री हेतु व्यवस्था (इलेक्ट्रिक केटल एवं माईक्रोवेव), एटेच शौचालय, वाश बेसिन प्रदान करना। अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय एवं उपनिदेशक (सू.व्यवस्थापन) के कक्ष में रंगरोगन।
2. प्रथम एवं द्वितीय तल पर उपलब्ध महिला शौचालय में मरम्मत, कमोड, टाईल्स, नये वाश बेसिन एवं आवश्यक नल फिटिंग कार्य।

उपरोक्त कार्य पर राशि रु. 5.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-19/18-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Repairing & Addition in Government building in Scheduled Area हेतु प्राप्त राशि रु. 200.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्तें-


1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना निश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
4. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) As  
 आयुक्त  
 कृ.प.उ

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/ गुड गवर्नेन्स /18-19/12714-23 दिनांक : 08.03.19  
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज. सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. परियोजना प्रबन्धक स्वच्छ परियोजना, पुलिस अन्वेषण भवन के पास, बडी, उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति सं-19/18-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Repairing & Addition in Government building in Scheduled Area हेतु प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख मे से 5.00 लाख (अक्षरे पांच लाख) निदेशक स्वच्छ परियोजना उदयपुर को हस्तांतरित करे।
5. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
6. परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड फाईल।

  
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294--2428721  
ई-मेल : comm.tad @gmail.com..Website www.tad.rajasthan.gov.in